न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
विविध प्रा0पत्र सं0 490/16
फैसला दिनांकः–10.06..2018

1. छीतर पुत्र जयराम
2. चिंरजीलाल पुत्र छीतर
   समस्त जाति कुमावत नि0 डेल्डा की ढाणी काचरोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोती पुत्र पेमा जाति जाट नि0 ईटावा फौत
   1/1 रामदेव पुत्र हरजीराम दत्तक मोती
2. रतनीदेवी पत्नि हरजीराम
3. हरजीराम पुत्र पेमाराम
   समस्त जाति जाट नि0 ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. भागीरथ
5. हीरालाल
   समस्त पुत्रान हीरालाल जाति कुमावत नि0 ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
6. पन्नीदेवी पत्नि जमनलाल
7. लीलाधर
8. प्रेमचन्द
9. देवीलाल
10. नन्दलाल
11. सुरेश कुमार
    समस्त पुत्रान जमनलाल
12. कौशल्या पुत्री जमनलाल
    समस्त जाति कुमावत नि0 ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
13. तहसीलदार फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र 251 ए रा0टी0ऐक्ट</u>

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के ख0नं0 126 रकबा 13 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा है जो प्रार्थीगण के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी में आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नहीं है तथा प्रार्थीगण आयेदिन अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु परेशान होते है तथा अपनी उक्त आराजीयात पर काश्त हेतु टेक्ट्रर व अन्य साधन लाने ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिस कारण से प्रार्थीगण आयेदिन हैरान व परेशान रहते है तथा ख0नं0 379/132 रकबा 2 विस्वा व 374/132 रकबा 11 विस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है इसलिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र उत्तरी सींव पर नजरी नक्शें मे मार्क ए,बी,ई,एफ ख0नं0 379/132 रकबा 2 विस्वा व 374/132 रकबा 11 विस्वा में से 10 फुट चौड़े रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकित करने हेतु पेश किया है प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1/1, 2, 3 की ओर से चन्दनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार फुलेरा की ओर से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्तें के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र तेज्या का बास में पेश हुयी। पक्षकारान को मजमेंआम में सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस सुनी गयी एंव रास्तें की मौका रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार फुलेरा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 126 रकबा 13 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमें आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नहीं है एंव उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 379/132 रकबा 2 विस्वा व 374/132 रकबा 11 विस्वा जो कि अप्रार्थीगण की काश्त की भूमि है जिसमें से प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 379/132 रकबा 2 विस्वा व 374/132 रकबा 11 विस्वा

अधिकारी
...मर लेक

के उत्तरी सींव के सहारे सहारे 10 फुट चौड़ा रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व नजदीकी व सुलभ रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 379/132 रकबा 2 विस्वा व 374/132 रकबा 11 विस्वा के उत्तरी सींव के सहारे सहारे मार्क ए.बी.ई.एफ 10 चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिया जाना न्यायोचित पाता हूँ इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 126 रकबा 13 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 379/132 रकबा 2 विस्वा व 374/132 रकबा 11 विस्वा वाकै ग्राम ईटावा तह0 फुलेरा के उत्तरी सींव के सहारे सहारे ग्रेवल रास्ता फुलेरा से रसूलपुरा मार्क ए.बी.ई.एफ 10 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है इसलिए तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट दिनांक 27.10.17 के मुताबिक डी0एल0सी0 की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से जमा कर रास्तें को राजस्व रिकोर्ड व नक्शें में दर्ज करें तथा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को जमा राशि का उनके रिकोर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार भुगतान करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के संलग्न नक्शा निर्णय का अंग रहेगा। इस बाबत तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प तेज्या का बास मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक